राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(अनुभाग–1)

क्रमांकः प.10(1)प्र.सु./सम./अनु–1/2012 जयपुर, दिनांकः 25.09.2019

–:: परिपत्र ::–

इस विभाग के परिपत्र दिनांक 05.02.2015 द्वारा सभी विभागों के कार्यालयों को उनके यहाँ प्राप्त सभी प्रकार के परिवाद/प्रार्थना पत्र/परिवेदनाओं की प्राप्ति रसीद आवश्यक रूप से दिए जाने हेतु निर्देशित किया गया था एवं इस बाबत स्पष्ट दृश्य स्थान पर इसे प्रमुखता से दर्शाये जाने के भी निर्देश दिये गये है। शासन के ध्यान में लाया गया कि अभी भी कई कार्यालयों द्वारा प्राप्ति रसीद न दिए जाने की परिवेदनाऐं/शिकायतें प्राप्त हो रही है। अतः पूर्व में जारी दिशा–निर्देशानुसार परिवाद/परिवेदना/आवेदन पत्रों की प्राप्ति रसीद दिया जाना सुनिश्चित करें।

इस विभाग के परिपत्र दिनांक 18.03.2016 एवं 27.06.2019 द्वारा यह निर्देशित किया गया था कि राजकीय पत्र व्यवहार करते समय कार्यालय/अधिकारी ई–मेल आईडी भी अंकित की जावें। इसकी पूर्णतया पालना नहीं किये जाने की शिकायतें प्राप्त हो रही है।

अतः समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण, विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जावे एवं ई–मेल आईडी से प्राप्त होने वाले पत्र/परिवेदना/प्रार्थनापत्र को भी वैध आधिकारिक दस्तावेज माना जावें।

(डी.बी.गुप्ता)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदय
2. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त माननीय मंत्री/राज्य मंत्री
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
4. प्रमुख आवासीय आयुक्त/आवासीय आयुक्त, बीकानेर हाउस, नई दिल्ली
5. समस्त संभागीय आयुक्त
6. महानिदेशक, पुलिस राजस्थान जयपुर
7. समस्त विभागाध्यक्ष
8. समस्त जिला कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक
9. समस्त निगम/बोर्ड/आयोग
10. सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग/प्रकोष्ठ
11. आयुक्त, जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर को दो अतिरिक्त प्रतियों में प्रमुख समाचार पत्रों के प्रचार–प्रसारार्थ
12. रक्षित पत्रावली

(डॉ. आर. वेंकटेश्वरन)
प्रमुख शासन सचिव

1D:\U.Note.docx